

L11014

प्रत्यर्धी पक्ष ने उपस्थित होकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपील में चाहे गए अनुतोष के अनुरूप अपील डिक्रीत करने के आशय का प्रार्थना पत्र के राजीनामे के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्धी पक्ष को सुना गया।

अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय ग्रामपंचायत 61 जी वी द्वारा तहदीक एवं अपीलग्रस्त इंतकाल संख्या 51 दिनांक 15.08.95 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार अनूपरा को आदेशित किया जाता है कि वह संबंधित पक्षों को युक्त नियमानुसार पुनः नामान्तरण आदेश पारित करें। विस्तृत निर्णय पृथक् से लिखवाया जाएगा।

यह निर्णय दिनांक 01.10.19 को खुले न्यायालय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(पवन कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
अनूपगढ़